न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 59/2022

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. बसंत कुमार पुत्र स्व. रामसिंह जाति राजपुरोहित निवासीः– रूपावास तहसील सोजत हाल निवासी प्लोट नम्बर 15, (बसंत विला) कंवर नगर सेक्टर 6बी. के पास, कुड़ी भगतासनी, हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश देव अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक –25.05.2022

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा ग्राम रूपावास, पटवार क्षेत्र रूपावास, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान में वादी एवम् वादी के भाई रूपसिंह व अन्य सहखातेदारगन की कृषि भूमि खाता संख्या 338 के खसरा नंबर 317 318 333 346 352 890 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.2900 है0 किस्मह बा0अ0 उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा खातेदारी, कब्जा काश्त का निहित है, शेष 1/3 हक हिस्सा वादी के भाई रूपसिंह का व शेष 1/3 हिस्सा वादी के भाई स्व. अमर सिंह के पुत्र प्रतापसिंह का निहित है।

खाता संख्या 335 खसरा नंबर 740 757 758 847 849 850 853 857 909 912 913 कुल खसरा 11 कुल रकबा 7.300 है0 उक्त वर्णित कृषि भूमि में भी वादी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग है, अन्य शेष सहखातेदारान का हक हिस्सा दर्ज सुदा है। खाता संख्या 334 खसरा नम्बर 295 रकबा 1.3200 बा0अ0 उक्त वर्णित कृषि भूमि में भी वादी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग है, अन्य शेष सहखातेदारान का हक हिस्सा दर्ज सुदा है। वादपत्र के पद संख्या 1 में उल्लेखित कृषि भूमि सेटलमेन्ट पूर्व के पुराने खसरा नम्बर 155, 1019, 1023, 1026, 646, 692, 694, 1028, 1036, 1043, 186, 188, 252, 1042 से मिलकर बने है, जो कि वादपत्र के साथ प्रस्तुत खसरा मिलान से स्पष्ट है, उक्त वर्णित आराजीयात की कृषि भूमि सेटलमेन्ट पूर्व से वादी के पिता रामसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति पुरोहित व अन्य के नाम राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार इन्द्राज सुदा थी तथा वादी के पिता रामसिंह जी का सेटलमेन्ट से पूर्व स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उतराधिकारी वारिसान में तीन पुत्र अमरसिंह, रूपसिंह व वादी बसंत कुमार हुये, जिसमें से अमरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, जिनका उतराधिकारी वारिस प्रतापसिंह खातेदार दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादी के पिता का स्वर्गवास हुआ तथा स्वर्गवास के

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

रीडर

उप खण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक

सोजत (पाली)

उपखण्ड अधिकारी

सोजत

पश्चात् राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज वादी की उम्र 14 वर्ष थी, अर्थात् वादी का राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज नाबालिक था तथा वादी को गांव, परिवार व समाज में लाड़ प्यार से विशनसिंह के नाम से ही जाना पुकारा, पहचाना जाता था, लेकिन वादी का वास्तविक व सही दस्तावेजी नाम बसंत कुमार है। वादी बसंत कुमार व विशनसिंह एक ही व्यक्ति है तथा रामसिंह जी के उतराधिकारी वारिसान ने बसंत कुमार व विशनसिंह नाम के कोई अलग अलग व्यक्ति नही है। वादी बसंत कुमार ही विशनसिंह है। विशनसिंह वादी के बचपन के लाड़ प्यार का नाम है। उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में सेटलमेन्ट पूर्व राजस्व कर्मचारीयो द्वारा वादी के वास्तविक व सही दस्तावेजी नाम की जॉच न कर घर में पुकारे जाने वाला बचपन का नाम विशनसिंह दर्ज कर दिया, जो कि गलत है, जबकि वादी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम बसंत कुमार ही है। उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में पुराने खसरा नम्बर 142 रकबा पोढ़े चार बीघा कृषि भूमि को भी वादी की माता द्वारा अपने पुत्रो के नाम से खरीद दिनांक 31/05/1967 को की गई, जिसमें भी खरीददार में वादी का नाम बसंत कुमार ही दर्ज है, उसके उपरान्त भी राजस्व कर्मचारीयो द्वारा विशनसिंह त्रुटिवश दर्ज कर दिया, जबकि वादी के आधार कार्ड, आयकर (पैनकार्ड), पासपोर्ट, बैंक डायरी, परिवार कार्ड इत्यादि तमाम दस्तावेजात में बसंत कुमार ही नाम अंकित है, जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी का सही व दस्तावेजी नाम बसंत कुमार ही है तथा राजस्व कर्मचारीयो द्वारा सदभाविक त्रुटिवश वक्त इन्द्राज दस्तावेजी नाम अंकित न कर विशनसिंह कर दिया, जो गलत इन्द्राज है। वादी को उक्त वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के बारे में पूर्व से कभी जानकारी नही रही है, न ही सेटलमेन्ट पूर्व राजस्व कर्मचारीयो द्वारा उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बसंत कुमार के स्थान पर विशनसिंह दर्ज की जानकारी रही है। अभी वर्तमान में वादी को उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बंध में ऋण की आवश्यकता होने पर दिनांक 15/02/2022 को सम्बंधित पटवारी हल्का से सम्पर्क कर उपरोक्त तमाम वर्णित कृषि भूमि की जमाबन्दी इत्यादि दस्तावेज हेतु सम्पर्क किया, सम्पर्क करने पर सम्बंधित पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि में वादी को बसंत कुमार दर्ज न होकर विशनसिंह दर्ज होने की जानकारी दी, जिस पर वादी द्वारा उपरोक्त वर्णित तमाम कृषि भूमि के पुराने दस्तावेजात व अन्य तमाम जमाबन्दी की व राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 11.04.2022 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि "राजस्व कर्मचारीयो द्वारा सेटलमेन्ट पूर्व वादी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम अंकित न कर त्रुटिवश विशनसिंह दर्ज कर दिया," जबकि वादी बसंत कुमार व विशनसिंह एक ही व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति नही है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर वादी बसंत कुमार का ही कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग आज दिनांक तक चला आया है तथा ग्राम रूपावास में विशनसिंह व बसंत कुमार पुत्र श्रीरामसिंह नाम के वादी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नही है, इसलिये वादी वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में विशनसिंह के स्थान पर बसंत कुमार से रेकर्ड दुरूस्त करवा कर खातेदारी घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है। बिनायदावा वादस्थ कृषि भूमि वादी की खातेदारी, कब्जा काश्त की स्थित होने से व वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सेटलमेन्ट पूर्व कर्मचारीयो द्वारा वक्त इन्द्राज वादी नाबालिक होने से दस्तावेज की जॉच न कर वादी का दस्तावेजी नाम बसंत कुमार दर्ज न कर विशनसिंह त्रुटिवश दर्ज कर देने से व वादी द्वारा दिनांक 15/02/2022 को उपरोक्त वर्णित कृषि

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी

भूमि के सम्बंध में ऋण की आवश्यकता हेतु सम्बंधित पटवारी हल्का से दस्तावेज हेतु सम्पर्क करने पर उनके द्वारा उक्त त्रुटि की जानकारी देने से व वादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि के तमाम राजस्व रेकर्ड दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी होने से वादकारण ग्राम रूपावास उत्पन्न हुआ, जो वाद अन्दर म्याद पेश है। वादस्थ कृषि भूमि के सम्बंध में वादी द्वारा अपने वास्तविक व दस्तावेजी नाम अंकित न होकर त्रुटिवश विशनसिंह दर्ज होने से उक्त वाद घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत किया है तथा वादी का उक्त कृषि भूमि में रेकर्ड दुरूस्त होने से किसी भी अन्य सहखातेदारान के हक हिस्से पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा, न ही उनके विरूद्ध वादी का कोई अनुतोष है, इसलिये सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है तथा सहखातेदारान के वादी के उक्त त्रुटि दुरूस्त के सम्बंध में बतौर सहमति शपथपत्र संलग्न वाद प्रस्तुत है। वादस्थ कृषि भूमि ग्राम रूपावास तहसील सोजत में स्थित होने से व वाद घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का होने से वाद न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार, क्षैत्राधिकार का है। वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट का होने से नियमानुसार न्याय शुल्क मुद्राक पर वाद प्रस्तुत है। तहसीलदार (भूमि धारक) होने से पक्षकार बनाया गया है। वादी की इस्तदुआ है कि नीचे माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि–वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम रूपावास के वर्तमान खसरा संख्या 317 रकबा 1.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.7900 हैक्टर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.8700 हैक्टर, खसरा नम्बर 890 रकबा 0.6100 हैक्टर कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.2900 हैक्टर एवम् खसरा संख्या 740 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा संख्या 757 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 847 रकबा 0.8300 हैक्टर, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 850 रकबा 0.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 853 रकबा 0.8700 हैक्टर, खसरा नम्बर 857 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 909 रकबा 0.6300 हैक्टर, खसरा संख्या 912 रकबा 0.4800 हैक्टर, खसरा संख्या 913 रकबा 1.0300 हैक्टर, कुल खसरा 11 कुल रकबा 07.300 हैक्टर एवम् खसरा संख्या 295 रकबा 1.3200 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में सेटलमेन्ट पूर्व कर्मचारीयो द्वारा वादी का वास्तविक दस्तावेजी नाम अंकित न कर विशनसिंह दर्ज कर दिया, जिसे वादी पुनः रेकर्ड दुरूस्त करवा कर बसंत कुमार के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने जबाब दावा पेश किया सा0मि0. हो। जबाब दावा पेश वाद वादी स्वयं सिद्ध करने का अंकन करते हुये अन्य बिन्दु कानूनी होना अंकित किया है।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत खाता संख्या 390, 391, 392 की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076–79 प्रमाणित प्रति सम्पूर्ण भूमि के खसरा मिलान, प्रमाणित प्रतिलिपित पुराने ख0न0 1019, 1023, 1026, 949, 992, 994 की जमाबंदी सम्वत् 2026–29, प्रमाणित जमाबंदी ख0न0 1042, 186, 188, 257, फोटोप्रति ग्राम रूपावास के म्यूटेशन संख्या 213 225 218, 146 वादस्थ भूमि की जमाबंदी 2068–71, फोटो प्रति बेचान

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

दस्तावेज की पुराने ख0न0 1042 एवं वादी के आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र पेनकार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक,, राशनकार्ड की प्रतियॉं, असल सह खातेदार के शपथ पत्र पेश किए, सामिल मिसल है। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, प्रमाणित जमाबंदीयों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा रूपावास के वर्तमान खसरा संख्या 317 रकबा 1.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.7900 हैक्टर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.8700 हैक्टर, खसरा नम्बर 890 रकबा 0.6100 हैक्टर कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.2900 हैक्टर एवम् खसरा संख्या 740 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा संख्या 757 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 847 रकबा 0. 8300 हैक्टर, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 850 रकबा 0.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 853 रकबा 0.8700 हैक्टर, खसरा नम्बर 857 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 909 रकबा 0.6300 हैक्टर, खसरा संख्या 912 रकबा 0.4800 हैक्टर, खसरा संख्या 913 रकबा 1.0300 हैक्टर, कुल खसरा 11 कुल रकबा 07.300 हैक्टर एवम् खसरा संख्या 295 रकबा 1.3200 हैक्टर बा0अ0 राजस्व रेकर्ड में सेटलमेन्ट पूर्व कर्मचारीयो द्वारा वादी का वास्तविक दस्तावेजी नाम अंकित न कर विशनसिंह दर्ज कर दिया, जिसे वादी पुनः रेकर्ड दुरूस्त करवा कर बसंत कुमार करवाने का अधिकारी है। लिहाजा अधिवक्ता वादी का वाद स्वीकार किये जाने तथा उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में विशनसिंह स्थान पर बसंत कुमार दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा बतौर सबूत प्रस्तुत तीन रूपये के स्टाम्प पर लिखित बैचाननामा में वादी का का नाम बंसन्त कुमार अंकित है। अन्य सह खातेदार रूपसिंह, व गुमानसिंह द्वारा भी अपने शपथ पत्रों में वादी का नाम विशनसिंह के स्थान पर बंसन्त कुमार होना अंकित किया है। अर्थात सह खातेंदारों द्वारा भी बिशनसिंह के स्थान पर बसन्त कुमार दर्ज किए जाने मे सहमति व्यक्त की है। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में बिशनसिंह के स्थान पर बसंतकुमार दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

—: आदेश :—

अतः माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

है। सरहद मौजा रूपावास के वर्तमान खसरा संख्या 317 रकबा 1.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 318 रकबा0.7900 हैक्टर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.8700 हैक्टर, खसरा नम्बर 890 रकबा 0.6100 हैक्टर कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.2900 हैक्टर एवम् खसरा संख्या 740 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा संख्या 757 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 847 रकबा 0.8300 हैक्टर, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 850 रकबा 0.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 853 रकबा 0.8700 हैक्टर, खसरा नम्बर 857 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 909 रकबा 0.6300 हैक्टर, खसरा संख्या 912 रकबा 0.4800 हैक्टर, खसरा संख्या 913 रकबा 1.0300 हैक्टर, कुल खसरा 11 कुल रकबा 07.300 हैक्टर एवम् खसरा संख्या 295 रकबा 1.3200 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड **बिशनसिंह के स्थान पर बसंत कुमार** दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक
सोजत (पाली)

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. बसंत कुमार पुत्र स्व. रामसिंह जाति राजपुरोहित निवासी:– रूपावास तहसील सोजत हाल निवासी प्लोट नम्बर 15, (बसंत विला) कंवर नगर सेक्टर 6बी. के पास, कुड़ी भगतासनी, हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956</u>

राजस्व वाद संख्या :– 59/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री कैलाश दवे तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा रूपावास के वर्तमान खसरा संख्या 317 रकबा 1.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 318 रकबा0.7900 हैक्टर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.8700 हैक्टर, खसरा नम्बर 890 रकबा 0.6100 हैक्टर कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.2900 हैक्टर एवम् खसरा संख्या 740 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा संख्या 757 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 847 रकबा 0.8300 हैक्टर, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 850 रकबा 0.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 853 रकबा 0.8700 हैक्टर, खसरा नम्बर 857 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 909 रकबा 0.6300 हैक्टर, खसरा संख्या 912 रकबा 0.4800 हैक्टर, खसरा संख्या 913 रकबा 1.0300 हैक्टर, कुल खसरा 11 कुल रकबा 07.300 हैक्टर एवम् खसरा संख्या 295 रकबा 1.3200 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड **बिशनसिंह के स्थान पर बसंत कुमार** दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25.05.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

O.W.

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

रीडर

उप खण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक

सोजत (राज.)